राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>अपील संख्या –534/2017/हनुमानगढ</u>

मै0 जगदीश प्रसाद विनोद कुमार
नोहर, हनुमानगढ़। ....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, नोहर, हनुमानगढ़। ....प्रत्यर्थीगण.

<u>एकलपीठ</u>
<u>राजीव चौधरी, सदस्य</u>

उपस्थित :
श्री ओ. पी. गुप्ता
अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

दिनांक : 10.01.2018

<u>निर्णय</u>

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के द्वारा अपील संख्या 202/आरवेट/हनुमानगढ/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील में अधिनियम की धारा 16(4) के तहत दिनांक 11.07.2014 को पारित कर निर्धारण आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा अदम हाजरी/पैरवी में खारीज किये जाने को विवादित किया गया है।

2 प्रकरण के तथ्यों इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत–ए, नोहर, हनुमानगढ (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) के समक्ष उनके द्वारा पारित नोटिस दिनांक 30.06.2014 का जवाब देते हुए दिनांक 31.03.2014 से पंजीयन प्रमाण पत्र बंद करने का निवेदन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उल्लेखित करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा वैट 01 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार घोषणा कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा कोई व्यापार प्रारंभ ही नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 11.07.2014 द्वारा अपीलार्थी को जारी ''सी'' फॉर्म निरस्त करते हुए दिनांक 06.06.2012 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.07.2016 को अपीलार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरवी/हाजरी में खारीज कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 26.07.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3 उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

लगातार.........2

4 बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2016 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को या उसके कर्मचारी अथवा उसके किसी भी परिवारजन को नोटिस तामील नहीं करवाया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी नोटिस पर अपीलार्थी के वकील को तामिल करवाया जाना अंकित है, जबकि अधिकृत प्रतिनिधि/अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी को इस न्यायालय में उपस्थिती बाबत कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपना शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का उक्त निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारण करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है कि अपीलार्थी द्वारा कोई व्यापार ही प्रारंभ नहीं किया गया और इसी आधार पर उसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी माल की खरीद और विक्रय को अपनी लेखा पुस्तकों को नियमित रुप से इन्द्राज कर रहा है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश विधि, साम्या व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथनों के साथ अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करत हुये व अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवदेन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर तामील करवाया गया है। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अतः इन तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को खारिज किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

6 उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड का अवलोकन किया गया।

7. **कर निर्धारण अधिकारी** द्वारा अपीलार्थी की फर्म का पंजीयन दिनांक 06.06.2012 को जारी किया गया तथा 'सी' व आवश्यक दस्तावेज भी जारी किये गये। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र 01 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार घोषणा कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा कोई व्यापार प्रारंभ ही नहीं किया गया।

लगातार.........3

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जारी "सी" फॉर्म निरस्त करते हुए, अपने आदेश दिनांक 11.07.2014 से दिनांक 06.06.2012 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.07.2016 को अपीलार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरवी / हाजरी में खारीज कर दिया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को एक नोटिस दिनांक 04.07.2016 को अपने समक्ष दिनांक 26.07.2016 को उपस्थिति हेतु जारी किया गया। उक्त नोटिस पर अधिवक्ता दीपक व्यास का नाम अंकित है तथा दिनांक 13.07.2016 को उक्त नोटिस के प्रप्ति के हस्ताक्षर भी है। उक्त नोटिस जो अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 7 के रुप में संलग्न है उस पर प्राप्ति के उक्त हस्ताक्षर किसके द्वारा किये गये है ऐसी कोई रिपोर्ट नोटिस पर अंकित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त नोटिस की मूल प्रति भी अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 13 के रुप में संलग्न है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में दिनांक 04.07.2016 को जारी नोटिस की मूल प्रति पृष्ठ संख्या 13 एवं उसकी कार्बन प्रतिलिपि पृष्ठ संख्या 7 के रुप में संलग्न है। इस प्रकार जब नोटिस की दोनों प्रति पत्रावली में है तथा नोटिस प्राप्ति पर किसके हस्ताक्षर है यह विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है तब अपीलार्थी के अभिभाषक पर नोटिस की तामील संदिग्ध हो जाती है। दूसरी ओर अपीलार्थी का यह कथन है कि उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि या अभिभाषक द्वारा उसे न्यायालय में उपस्थित होने बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई और इन तथ्यों का अपीलार्थी ने शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.07.2016 को उपस्थित होने बाबत जारी नोटिस दिनांक 04.07.2016 की तामील अपीलार्थी पर किसी भी प्रकार से नहीं होना पाया जाता है।

9 अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के आधार पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में अपील खारिज की गई न कि गुणावगुण पर अपील निस्तारित की गई। जबकि उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.07.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिवत गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

लगातार........4

10. परिणामस्वरुप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.07.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

10/01/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य